

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सूचना सहायक विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में 2 ठिकानों पर छापे
- वैध आय से लगभग अनुमानित 1300 प्रतिशत अधिक परिसम्पत्तियों का खुलासा
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 06 दिसम्बर, मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की इन्टेलिजेंस इकाई द्वारा विकसित सूत्र सूचना पर आज ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुये श्रीमती प्रतिभा कमल सूचना सहायक हाल मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर के जयपुर शहर में स्थित 2 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय द्वारा श्रीमती प्रतिभा कमल सूचना सहायक हाल मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर के विरुद्ध शिकायत का सत्यापन किया जाकर आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का मामला बनना पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.यू. द्वितीय जयपुर के नेतृत्व में ब्यूरो की एस.यू.—द्वितीय एवं इन्टेलिजेंस यूनिट के सहयोग से विभिन्न टीमों का गठन किया जाकर आज अलसुबह उनके 2 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई है।

ब्यूरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्राथमिक आकलन एवं अब तक मिले दस्तावेजों के अनुसार श्रीमती प्रतिभा कमल सूचना सहायक हाल मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर द्वारा लगभग 6.5 करोड़ की परिसम्पत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी वैध आय से करीब 1300 प्रतिशत अधिक है। आरोपिया द्वारा अपनी अवैध आय को जयपुर में आवासीय/व्यावसायिक/भूखण्डों/फ्लैटों एवं म्यूचवल फण्ड, इन्श्योरेन्स आदि में निवेश करना ज्ञात हुआ है। आरोपी के जयपुर स्थित मकान से 22 लाख 90 हजार रुपये से अधिक की नगदी, 1.3 किलोग्राम सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी, चार लगजरी वाहन बीएमडब्ल्यू कार, बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकिल सहित काफी मात्रा में चल-अचल सम्पत्ति के दस्तावेज मिले हैं। इसके अतिरिक्त आरोपिया एवं उसके परिजनों के नाम 11 बैंक खाते, 12 से अधिक बीमा पॉलिसियो, एक ऑफिस, एक फ्लैट, 7 दूकानों एवं 13 आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों के दस्तावेज भी बरामद हुये हैं। साथ आरोपिया के निजी ऑफिस से कई दर्जन मंहगे लेपटॉप एवं डेस्कटॉप भी मिले हैं।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है, जिसमें और अधिक परिसम्पत्तियों का पता चलने की संभावना है। आरोपी के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण पीसी एक्ट में दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।